न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 41/2022 GCMS No.–2022/68

1. रामजानकी पत्नि स्व. कृष्ण मुरारी जाति पारीक निवासी 1449, देवरा का बास, व्यास मोहल्ला, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. राजेश कुमार पारीक पुत्र स्व. कृष्ण मुरारी जाति पारीक, निवासी 1449, देवरा का बास, व्यास मोहल्ला, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. मदनलाल पुत्र स्व. कृष्ण मुरारी जाति पारीक, निवासी 1449, देवरा का बास, व्यास मोहल्ला, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. दामोदरलाल पुत्र स्व. कृष्ण मुरारी जाति पारीक, निवासी 1449, देवरा का बास, व्यास मोहल्ला, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. दीपक कुमार पुत्र स्व. कृष्ण मुरारी जाति पारीक, निवासी 1449, देवरा का बास, व्यास मोहल्ला, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. मनीष कुमार पुत्र स्व. कृष्ण मुरारी जाति पारीक, निवासी 1449, देवरा का बास, व्यास मोहल्ला, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र सीताराम जाति पारीक, निवासी पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र सीताराम जाति पारीक, निवासी पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. विनोद कुमार पुत्र सीताराम जाति पारीक, निवासी पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1867 दिनांक 28.09.2004 ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

उपस्थितः–
1. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांकः 28.03.2023

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 28.09.2004 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1867 वाके ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी रेस्पाडेन्ट्स के नाम स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.06.2022 को न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तहसीलदार बस्सी से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित निर्णय 28.09.2004 नामान्तकरण संख्या 1867 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित ग्राम बस्सी तहसील बस्सी भूमि खसरा नंबर 1378 रकबा 13 बिस्वा (हाल खसरा नंबर 2027 रकबा 0.16 है0) के अपीलांट्स के दादा नानगराम पुत्र रामकुंवार उर्फ नन्दकुमार काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे। जिनका स्वर्गवास 23.05.1990 को हो गया तथा अपीलांट्स के पिता श्री कृष्ण मुरारी जी का स्वर्गवास दिनांक 20.03.2021 को हो गया। अपीलांट्स कृष्णमुरारी जी के पत्नि व पुत्र है। अपीलांट्स के दादा स्व. नानगराम के कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंनें अपीलांट्स कें पिता स्व. कृष्णमुरारी को गोद ले लिया तथा उन्होंनें अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत भी अपीलांट्स के पिता के हक में दिनांक 20.05.1983 को की गई। उक्त वसीयत का पंजीयन उपपंजीयक बस्सी द्वारा दिनांक 23.05.1985 को किया गया। अपीलांट्स के पिता उपरोक्तवर्णित भूमि पर अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट्स भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स के पिता स्व. कृष्ण मुरारी देवस्थान विभाग के समक्ष प्रन्यासी स्व. नानगराम के स्वर्गवास होने पर प्रन्यासी स्व. नानगराम के स्थान पर आवेदन प्रस्तुत करने पर देवस्थान विभाग द्वारा स्व. कृष्ण मुरारी को स्व. नानगराम का एकमात्र उत्तराधिकारी व वारिस स्वीकार किया है। रेस्पाडेन्ट्स का अपीलाधीन भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 ने तहसीलदार बस्सी से मिलीभगत कर गुपचुप में वादग्रस्त भूमि में स्व. नानगराम की विरासत का नामान्तकरण फर्जी तौर पर अपने नाम खुलवा लिया जिसकी अपीलांट्स व उनके पिता को कोई सूचना व जानकारी नहीं थी। रेस्पाडेन्ट ने स्वयं को शपथ पत्र के आधार पर वारिस होना अभिकथित करते हुए प्रश्नाधीन नामान्तकरण में अंकित खातेदार स्व. नानगराम की भूमि का नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई जांच नहीं की गयी एवं तहसीलदार बस्सी को धारा 135(2) के तहत सुनवाई कर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था, इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। स्व. कृष्ण मुरारी पारीक की वल्दियत परिवार राशन कार्ड, मतदाता सूची आदि दस्तावेजो में स्व. नानगराम अंकित है। दिनांक 01.06.2022 को रेस्पा0 संख्या 1 विवादित भूमि पर आये व अपीलांट्स को बताया कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम से दर्ज है। जिस पर अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि का प्रश्नाधीन नामान्तकरण की नकल अविलम्ब 07.06.2022 को प्राप्त की तथा माननीय

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 28.09.2004 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा प्रश्नाधीन नामान्तकरण में अंकित भूमि खसरा नंबर 1378 रकबा 13 बिस्वा का नामान्तकरण अपीलांट्स के नाम स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पाडेन्ट संख्या विरासत के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने कथन किया कि जिस भूमि का विवाद लेकर आये है वह भूमि नानगराम पुत्र रामकुंवार की है ना कि नानगराम पुत्र नन्दकुमार की इसलिए अपील खारिज की जावे। अपीलांट्स का मेरे पूर्वजो की भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। स्व. नानगराम की मृत्यु दिनांक 23.05.1990 को हो गई तो अपीलांट्स ने इतने वर्षो में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की इसलिए अपील मियाद बाहर है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण एवं पैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 1867 वाके ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण नानगराम एवं राधेश्याम के नाऔलाद फौत होने पर मुताबिक शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत के वारिसान के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया। जिसे तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 28.09.2004 को स्वीकृत किया गया। विद्वान अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण में स्व. नानगराम के वारिसान की जांच नहीं की गयी एवं अपीलांट्स के पिता स्व. कृष्ण मुरारी पारीक के नाम स्व. नानगराम ने अपने जीवन काल में वसीयत तस्दीक की थी जिसे उपपंजीयक बस्सी के दिनांक 23.051985 को रजिस्टर्ड करायी गयी। अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्व. कृष्ण मुरारी पारीक का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता सूची, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं देवस्थान विभाग द्वारा जारी प्रन्यास की प्रमाणित छायाप्रति पेश की जिनमें स्व. कृष्ण मुरारी पारीक के पिता का नाम नानगराम अंकित है। अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि नानगराम पुत्र नन्दकुमार वसीयत में अंकित है जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण में नानगराम पुत्र रामकुंवार अंकित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में नानगराम पुत्र रामकुंवार उर्फ नन्दकुमार अंकित किया है। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक शपथ पत्र एवं रेस्पा0 संख्या जगदीश प्रसाद पारीक के आवेदन

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्र के आधार पर ही तस्दीक कर दिया गया जबकि स्व. नानगराम द्वारा अपीलांट्स के पिता के हक में रजि0 वसीयत तस्दीक की थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संबंधित वारिसान की जांच किये बिना तस्दीक किया जाना जाहिर होता है, इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, बस्सी का आदेश दिनांक 28.09.2004 बाबत नामान्तरकरण संख्या 1867 वाके ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाता है कि वह अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित खसरा नंबर 1378 के संबंध में उभय पक्षकारान को नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार बस्सी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर